International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन-म.प्र. के विशेष संदर्भ में।

अजय कुमार पटेल[1], डॉ. धीरेन्द्र ओझा[2], जयकांत गुप्ता[3]

[1]Research Scholar, AKS University Satna (M.P.)
[2]Associate professor & HOD, Commerce, AKS University Satna (M.P.)
[3]Assistant Professor (Commerce), Indira Gandhi Home science girls PG college, shahdol

सारांश

असंगठित श्रमिक से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन में लगा हुआ, चाहे मजदूरी के लिये हो या बिना मजदूरी के लिए असंगठित श्रमिक कारखाना अधिनियम 1948 में नही आते हैं। असंगठित उद्योगों में सलंग्न श्रमिकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि इनका क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या 3.15 करोड़ थी जिसमें से 90 प्रतिशत है से अधिक कार्यशील जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थी।

असंगठित श्रमिक नाम से ही स्पष्ट है जो श्रम कानून के अधीन नहीं आते हैं जिनकों सरकार की किसी भी योजनाओं में लाभ नहीं दिया जाता है। जो केवल संस्था में मजदूरी के लिए कार्य करते है। भारत में कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत असंगठित कामगार है। असंगठित कामगार की परियोजना में ठेका श्रमिक, नैमत्तिक कामगार, घरों में कार्य करने, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, महिला और बाल श्रमिक और वृहद मजदूर श्रमिक शामिल किये जाते हैं। असंगठित श्रमिकों के नियोजन में मौसमी और अनिष्चित रोजगार, अलग-अलग कार्यस्थल, नियोक्ता, कर्मचारी संबंध का अभाव, खराब कार्य स्थितियां, अनिश्चित और लम्बे कार्य घंटे और कम परिश्रमिक जैसी समस्याएँ आती है। उन्हें अपनी अलिखित स्थिति और संगठनात्मक सहायता के अभाव के कारण अत्यधिक सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। ओरिएंट पेपर मिल और नेपा. लि. (अखबारी कागज मिल) उद्योग को विकास के इंजन के रूप में और मध्य प्रदेश को निर्माण करने वाले राज्य बनाने हेतु सरकार के हाल के प्रयासों का उद्देश्य असंगठित कामगार को मुख्य धारा में लाना भी है ताकि वे भी राज्य और राष्ट्र के उत्थान में सहयोग कर सकें और उनके लिए सम्मानपूर्ण जीवन और कार्य करने का अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सकें।

असंगठित कामगारों की परिभाषा और वर्गीकरण असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में असंगठित कर्मकार को जो किसी भी अधिनियम तथा संस्था में पंजीकृत नहीं किया गया हो जिसे मजदूरी करने वाले मजदूरों के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रस्तावनाः-

श्रमिक किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण सम्पत्ती होते हैं जिनका मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास एक राज्य की औद्योगिक इकाई के लिए परमावश्यक होता है। असंगठित श्रमिकों के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है उसकी स्थिति में शैक्षणिक प्रोत्साहन को महत्व देना चाहिए। क्योंकि इनके श्रम बल पर ही औद्योगिक इकाइयों की उन्नती का मार्ग खुलता है। हम जानते है कि असंगठित श्रमिक को औद्योगिक इकाईयों द्वारा किसी भी अधिनियम द्वारा पंजीकृत नहीं किया जाता है और न ही उनकी पारिश्रमिक देने का कोई मापदण्ड होता है। असंगठित क्षेत्र औद्योगिक इकाईयों के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है तथा वे राज्य औद्योगिक स्थल के श्रमिक होने के कारण काम का अधिकार, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य व्यवस्था, निर्वाह मजदूरी, मातृत्व लाभ तथा उचित जीवन स्तर के बराबर रूप से हकदार है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग अपने हितो कि रक्षा के लिए संगठन बनाता है। ये संगठन नियोजकों पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर मजदूरी में वृद्धि करवाते है, इनके प्रयास से भी प्रायः काम की दशाओं मे सुधार होता है। श्रमिक और नियोजकों के बीच सदैव संघर्ष रहा है। लेकिन असंगठित श्रमिकों के लिए कोई श्रम संघ नहीं होता क्योंकि अद्योगिक स्थल मे उनकी नौकरी स्थायी नहीं रहती है। इनको हम अगर मौसमी श्रमिक बोलें तो कोई गलत नही होगा। असंगठित श्रमिकों को संगठित श्रमिकों के श्रेणी मे लाने के लिए शिक्षा कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शैक्षणिक पिछड़ापन के कारण ही श्रमिकों को असंगठित श्रमिक कि भूमिका में कार्य करना पड़ता है। इसके साथ ही ओद्योगिक स्थलों में कार्य के आधार पर अस्थायी श्रमिकों कि नियुक्ति (भर्ती) की जाती है, जिसमे शैक्षणिक स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है अद्योगिक स्थलो से कार्य कि समाप्ति पर उनको संस्था से बाहर कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन ने असंगठित कर्मकांर अधिनियम 2003 के अनुसार पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को शासकीय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों मे स्नातक और सनातकोत्तर दोनों कक्षाओं में नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जायेगी। इसमें कोई जाती, धर्म, आय, पात्रता का बंधन नहीं होगा। वही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा योजना में असंगठित कर्मकार (श्रमिकों) के बच्चों को भी पात्र माना जायेगा।

मुख्य शब्द : असंगठित श्रमिक, असंगठित श्रमिक सामाजिक अधिनियम-2008, मानसिक शोषण

शोध कार्य का उद्देश्य-

"शोधकर्ता द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मे असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन" शोध पत्र मे शोधकर्ता द्वारा निम्नांकित उद्देश्यों का अध्ययन किया जायेगा।

1. औद्योगिक स्थल में असंगठित श्रमिकों को किस मापदंड के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है विश्लेषण करना।
2. असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति मे परिवर्तन होने पर भविष्य में उनकी स्थिति क्या होती है।
3. औद्योगिक स्थल में असंगठित श्रमिक संघ कि महत्त्व कि विवेचना करना।
4. असंगठित श्रमिक कि प्रबंधन मे क्या भूमिका रहती है, इसका अध्ययन करना है।
5. असंगठित श्रमिक जो लगातार कई वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद उनके लिए भविष्य मे क्या योजना रहती है का अध्ययन करना।
6. औद्योगिक स्थल में असंगठित श्रमिकों कि शिक्षा स्तर का अध्ययन करना।
7. असंगठित श्रमिकों को निर्माण स्थल मे मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन।

साहित्य समीक्षाः-

1. राजे उषा एवं गुप्ता महेश (2019) शोधकर्ताओं ने "असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन एक अध्ययन" शोध पत्र में असंगठित श्रमिकों के विभिन्न मापदंडो के आधार पर अपने सुझाव दिये जिसमे शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन की प्रक्रिया शामिल है।
2. पासवान, रंजीत कुमार (2018) भारत में श्रमिक आंदोलन का उदय और विकास "शोध पत्र मे श्रमिक से सम्बंधित श्रम आंदोलनो की चर्चा की है।
3. मोंगिया, विनीता (2019) "शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन" शोध पत्र मे सुझाव दिया कि असंगठित श्रमिकों को शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक शोषण को रोकने के लिए श्रम कानून को सक्ति से पालन करना चाहिए एवं महिलाओं को निः शुल्क शिक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए।

महत्वः-

शिक्षा समाज परिवर्तन लाती है जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण की जाती है शिक्षित व्यक्ति का भी विकास होता है "औद्योगिक क्षेत्र मे असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति" शोध पत्र मे अगर श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है -

1. औद्योगिक स्थल मे कार्यों कि समझ एवं उत्पादन मे वृद्धि होती है।
2. आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में वृद्धि होती है।

3. शिक्षित असंगठित श्रमिकों में श्रम संघ, नियोक्ताओं में समन्वय कि समस्या की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।
4. एक संस्था से दूसरे संस्थाओं मे जाने मे सुविधा होती है.
5. अन्य

शोध परिकल्पनाः-

शोध कि निम्न परिकल्पनाएं हैः-

H0 - औद्योगिक क्षेत्र मे शिक्षित असंगठित श्रमिकों का कोई महत्व नहीं है।

H1 - औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की भर्ती उनकी शिक्षा के आधार पर होती है।

H2 - असंगठित श्रमिकों की कार्य प्रणाली सही नहीं होती है।

शोध पद्धतिः-

शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में निम्नांकित शोध विधियों का प्रयोग किया गया है-

- **आंकड़ों का संकलन**- शोधकर्ता द्वारा अपने शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीय समंको से संबंधित आंकड़ों को शामिल किया गया है।
- **सर्वेक्षण**- शोधकर्ता ने पेपर मिलो मे कार्यरत असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति का सर्वे के माध्यम से समंको का प्रयोग किया गया है
- **साक्षात्कार**- शोधकर्ता ने मिलों में कार्यरत् श्रमिक साक्षात्कार (व्यक्तिगत) का आकडो़ को शामिल किया गया है।
- शोध सें संबंधित प्रश्नावली, अनुसूची,वर्गीकरण,सारणीयन,माध्य आदि का प्रयोग किया गया है
- **न्यादर्श**- शोधकर्ता नें न्यादर्ष के रूप मे लगभग 300 श्रमिको से आकड़ो का चयन किया गया
- शोध कार्य से संबंधित शोधकर्ता ने शोध के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध की सीमाएँ- शोधकर्ता ने पेपर मिलों में कार्यरत अनुबंध आधारित श्रमिक एवं असंगठित श्रमिको को ही अपने शोध कार्य मे सम्मिलित किया हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रश्नावाली के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया है। आंकड़ों के माध्यम से देखते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन एवं मजदूरी में अंतर को सारणी के माध्यम से विश्लेषण कर सकते हैं-

सारणी क्र. 1.1

सर्वेक्षण के आधार पर असंगठित श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

क्रमांक	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	380	38
2	साक्षर	240	24
3	प्राथमिक स्तर	220	22
4	माध्यमिक स्तर	160	16
	योग	1000	100

स्त्रोतः व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित, 2022-23

चित्र: 1.1

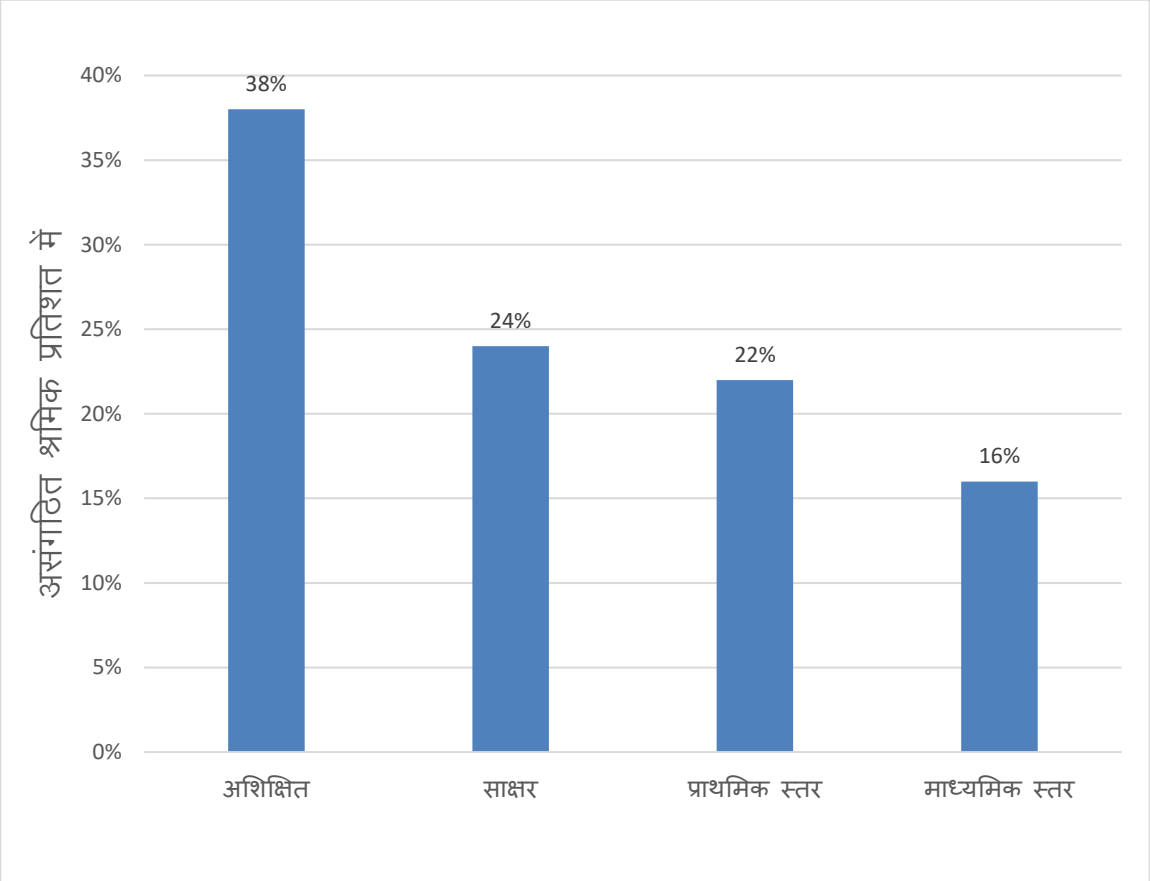

उपर्युक्त तालिका 1.1 से स्पष्ट होता है कि असंगठित क्षेत्र के 38 प्रतिशत श्रमिक अशिक्षित है वही जिन्हे मात्र अपना नाम लिखना आता है व थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान है 26 प्रतिशत है। अशिक्षा का यह स्तर बहुत चिंताजनक है एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समझने व लाभ प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है।

श्रमिकों को अशिक्षित होने का मुख्य कारण इनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति है इनमें से कोई श्रमिक काम की तलाश मे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते है। एक स्थान पर लम्बे समय तक निवास नहीं करते है इस कारण भी इनके बच्चे लगातार स्कूल में नहीं जा पाते है। सामाजिक सुरक्षा योजना के मूल उद्देश्यों तथा असंगठित श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के मार्ग में अशिक्षा सबसे बडी़ बाधा है। इस हेतु इनकी शिक्षा के लिये सार्थक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.2

दोनों मिलों में श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा	आयु	ओरिएंटल पेपर मिल			अखबारी पेपर मिल नेपा लि.			कुल श्रमिक		
		पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
अशिक्षित	18-24	34	19	53	37	18	55	71	37	108
5वीं	24-30	33	34	67	44	54	98	77	88	165
8वीं	30-36	30	44	74	54	49	103	84	93	177
10वीं	36-42	25	36	61	40	56	96	65	92	157
12वीं	42-48	49	54	103	29	32	61	78	86	164
स्नातक	48-54	52	45	97	29	26	55	81	71	152
स्नातकोत्तर	54-60	27	18	45	17	15	32	44	33	77
	कुल	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**		**500**	**500**	**1000**

स्त्रोतः- व्यक्तिगत सर्वेक्षण, 2023

विश्लेषण -तालिका 1.2 से स्पष्ट होता है कि दोनों मिलों में अशिक्षित से लेकर स्नातकोत्तर तक के श्रमिक कार्य करते हैं। अशिक्षित श्रमिक जिनकी आयु 18-24 है ओरिएंट पेपर मिल में महिला 19 तथा पुरूष 34 हैं, वहीं अखबारी कागज मिल में पुरूष 37 तथा महिला 18 हैं, कुल पुरूषों की कुल पुरूषों की संख्या दोनों मिलों में 71 तथा महिलाओं की संख्या 37 है। दोनों मिलों में शिक्षा के स्तर निरक्षर से लेकर स्नातकोत्तर तक हैं। कुल पुरूषों की संख्या में 8वीं स्तर के श्रमिक 84 हैं, एवं महिला श्रमिकों की संख्या

93 है, जो 8 वीं स्तर तक षिक्षा ग्रहण किये हुए हैं। ओरिएंट पेपर मिल में सबसे ज्यादा स्नातक स्तर के श्रमिक जिनकी आयु 48-54 है, तथा (महिला 42-48) अखबारी कागज मिल में सबसे ज्यादा श्रमिक पुरूषों में 8वीं स्तर के श्रमिक हैं, जिनकी आयु 30-36 है, एवं महिलाओं में 10वीं स्तर के श्रमिक हैं जिनकी आयु वर्ग 36-42 है, दोनों मिलों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए अलग से मिलों द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा एवं अनुभव को प्राथमिकता दिया जाता है। दोनों मिलों में श्रमिकों के शिक्षा के स्तर को रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं।

चित्र: 1.2

श्रमिकों की शैक्षणिक स्थिति

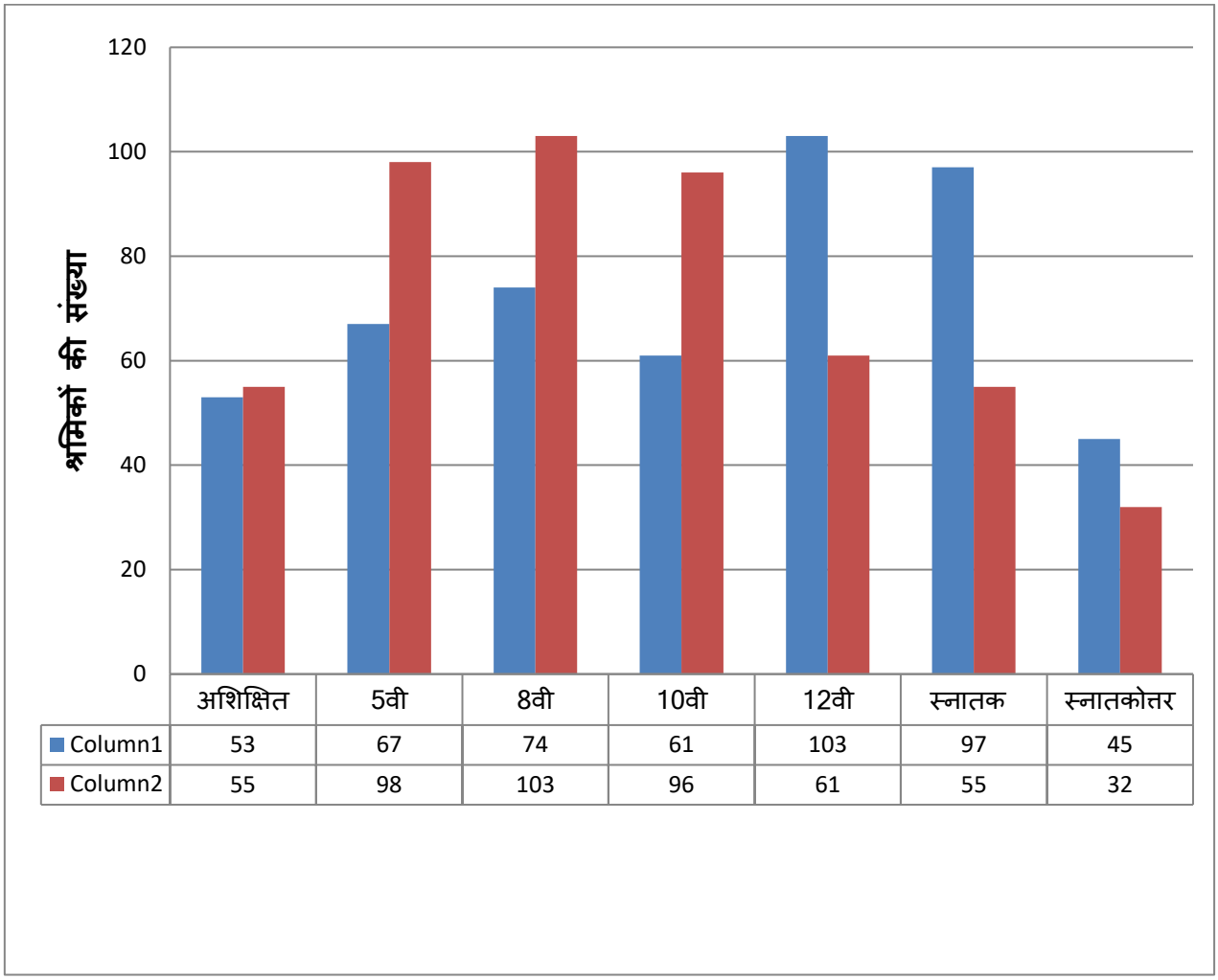

ओरिएंटल पेपर मिल में कुल महिला एवं पुरूषों की संख्या

अखबारी कागज मिल में कुल महिला एवं पुरूषों की संख्या

निष्कर्षः-

मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों मे असंगठित श्रमिकों की लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। वर्तमान परिदृश्य स्वरोजगार की ओर बढ़ना है. मध्य प्रदेश शासन असंगठित श्रमिको के बच्चों के लिए तो निःशुल्क शिक्षा कर दी लेकिन जो श्रमिक निर्माण स्थल में कार्य के आधार पर रखे जाते है फिर कार्य समाप्ति पर उन्हें बाहर कर दिया जाता है सरकार को इन सब मुद्दों पर भी नितियां बनाएं तो अच्छा होगा। असंगठित श्रमिकों को भोजन के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक उन्नति के लिए नियमित रोजगार कि भी आवश्यकता पड़ती है। श्रमिकों की नियमित मासिक आय इतनी होनी चाहिए कि वे अपना और अपने आश्रित परिवार का पालन पोषण कर पायें।

सुझावः-

औद्योगिक स्थलों मे असंगठित श्रमिकों की स्थिति काफी दयनीय है। अतः यह देखते हुए मध्य प्रदेश शासन को उनके रोजगार को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। असंगठित श्रमिकों मे शिक्षा स्तर भी नीचा या कम पढ़े लिखें रहते है, इसके लिए उनको शिक्षित करने का संस्था मे ही नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे वे भी उच्चतर शिक्षा को हासिल कर सके. असंगठित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार मजदूरी का भुगतान करनी चाहिए इसके साथ ही उनको भी अवकाश तीज त्यौहार का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी वही कार्य करते जो कार्य एक नियमित कर्मचारी करते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची -

शोधपत्र

1. राजे ऊषा एवं गुप्ता महेष (2019) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में सामाजिक सुरक्षा का प्रबंधन एक अध्ययन Advance in management value-12 (v) March 2019।
2. पासवान, रंजीत कुमार (2018) भारत में श्रमिक आंदोलन का उदय और विकास IJRSS Value 8, ISSUE 3, March 2018, ISSN2249-2496।
3. मोंगिया, विनीता (2019), शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिला श्रमिकों की आर्थिक विकास का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में समीक्षा और अनुसंधान के अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल ISSN 2454-2687 Value 07, ISSUE-25।
4. शुक्ला, डॉ. अवध प्रताप, अली, रुकसार (2019), रीवा जिले में औद्योगिकीकरण का प्रभाव, कौटिल्य (शोध पत्रिका), ISSN-0975-9220, Page No. 49-52।
5. मिश्रा, डॉ. संजय शंकर, द्विवेदी अम्रता (2019) असंगठित नगरीय श्रम बाजार में बाल श्रमिकों का आय एवं रोजगार का अध्ययन। कौटिल्य शोध पत्रिका ISSN : 0975-9220 Page No. 53-58।

वेबसाईट

1. www.india.gov.in
2. www.labour.mp.gov.in

म0प्र0 शासन श्रम विभाग वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

समाचार पत्र

1. दैनिक भास्कर
2. पत्रिका
3. नई दुनिया।